न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी ***श्री महेन्द्र सोनी***

आई.ए.एस

अपीलान्ट	***बनाम***	***रेस्पोडेन्टस***
श्री किशनलाल पुत्र वगताजी जाति विश्नोई निवासी डेडवा तहसील सांचोर जिला जालोर		1.श्री अणदाराम पुत्र मुकनाराम के कायम मुकाम:- 1/1.हरीराम पुत्र अणदाराम 1/2.भीखाराम पुत्र अणदाराम 1/3.चुन्नीलाल पुत्र अणदाराम 1/4.किशनलाल पुत्र अणदाराम 1/5.अमरूदेवी पत्नी अणदाराम जातियान् विश्नोई निवासी डेडवा तहसील सांचोर जिला जालोर 2.नायब तहसीलदार सांचोर 3.तहसीलदार सांचोर

प्रकरण संख्या अपील ***07/2019***

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनिय विरूद्ध सनद आदेश कमांक 4797 दिनांक 11.01.2002 न्यायालय तहसीलदार सांचोर प्रशासन गांवो के संग 2001 व उसी के आधार पर भरे गये नामान्तरणकरण संख्या 83 दिनांक 27.01.2002 न्यायालय नायब तहसीलदार सांचोर को खारिज व निरस्त करने हेतु।

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1- श्री तेजसिंह बालावत अभिभाषक अपीलान्ट

2- श्री सिकन्दर अली अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

3- श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 22.10.2019

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में अपीलांट के द्वारा अपील में यह अंकित किया कि सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर से संबंधित प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2001 के अभियान में रेस्पोडेन्टस संख्या 1/1 से 1/5 के पिता अणदाराम पुत्र मुकनारामजी ने नियमन हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांचोर के समक्ष इस आशय का पेश किया गया है, कि मै गरीब

व्यक्ति हूँ तथा मेरा पुराना कब्जा है।जिस पर पटवारी हल्का द्वारा जांच की गयी तथा जांच में यह माना कि प्रार्थी के पास कोई रहवासीय वाडा/मकान नही है तथा मौके पर मकान व वाडा बना हुआ है,तथा प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है तथा विवाद रहित है तथा पुराना कब्जे के मानने की जांच पटवार हल्का द्वारा की गई।जिसके आधार पर अणदाराम पुत्र मुकनाराम को दिनांक 11.01.2002 को प्रशासन गॉवो के संग के तहत तहसीलदार सांचोर द्वारा 433/906 में 1000 वर्गगज की सनद जारी की गयी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 27.01.2002 को नायब तहसीलदार सांचोर द्वारा स्वीकृत किया गया।उपरोक्त सनद का नियमन जांच व आवेदन गलत रूप से किया गया तथा जांच भी गलत रूप से की गई,नामान्तरकरण भी गलत रूप से किया गया जिससे आहत होकर अपीलांट निम्न वजुहातो पर के न्यायालय में अपील पेश कर रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय ने सनद आदेश पारित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। सनद आदेश व उसके आधार पर भरा गया नामान्तरणकरण निरस्त काबिल है।अपीलांट गांव डेडवा का रहवासी है,तथा रेस्पोडेन्ट भी गांव डेडवा के रहवासी है तथा अपीलांट गांव डेडवा का जागरूक नागरिक है तथा गौरक्षा संबंधी कार्य करता है। सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर की भूमि ग्राम पंचायत जाखल की गोचर भूमि थी।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उपरोक्त भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है,जो किसी भी प्रकार से अन्तरण व नियमन नही की जा सकती है।सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर जो गैर मुमकिन गोचर भूमि ग्राम पंचायत जाखल के खाते में दर्ज थी उससे संबंधित पूर्व में तहसीलदार द्वारा संशोधित आदेश क्रमांक/राजस्व/99/1031 दिनांक 19.07.1999 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 20.05.1999 की पालना में नायब तहसीलदार सांचोर के द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 21 दिनांक 03.08.1999 को स्वीकृत कर खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर ग्राम पंचायत जाखड का गोचर दर्ज किया।इस प्रकार पूर्व में उपरोक्त खसरा नंबर से संबंधित न्यायालय विवाद व कानूनी विवाद हुआ है जिसके नामान्तरणकरण निरस्त की प्रमाणित प्रति संलग्न अपील पेश है।अणदाराम पुत्र मुकनारामजी सम्पन्न व्यक्ति थे तथा गांव डेडवा में पक्के मकान व अन्य भूमियां गांव में वक्त नियमन थी तथा अणदाराम के कायम मुकाम किशनलाल व चुन्नीलाल सरकारी सेवा में है तथा वक्त नियमन भी सरकारी सेवा में थे। अणदाराम का परिवार सम्पन्न परिवार है तथा घर पर गाडी है तथा दुकाने आटे की चक्की नियमन वाली भूमि पर बना रखी है।वहां किसी प्रकार का रहवास नही है।इस प्रकार अणदाराम व उसका परिवार गरीब की श्रेणी में

नही आता है।गांव में काफी में खातेदारी व रहवासीय भूमियां भी है।अणदाराम पुत्र मुकनारामजी ने गलत सूचना देकर तहसीलदार सांचोर के समक्ष प्रशासन गांवो के संग नियमन हेतु आवेदन पेश किया गया तथा अणदाराम ने स्वंय को गरीब व्यक्ति बताया जबकि नियमन के वक्त अणदाराम गरीब व्यक्ति नही था तथा अणदाराम के उपरोक्त आवेदन की जांच भी गलत रूप से की गई तथा जांच में बताया कि खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर पर 1989 से कब्जा है जबकि ऐसा कोई कब्जा 1989 से नही था।ऐसा पूर्व में भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के आदेश के माध्यम से उपरोक्त भूमि दिनांक 03.08.1999 को गोचर भूमि वापस दर्ज हुई थी तथा पी 14 लगातार नही है लेकिन जांच पटवार हल्का द्वारा गलत रूप से की गयी तथा अणदाराम के अन्य कोई रहवासीय बाडा नही है। ऐसा जांच में बताया गया जबकि अणदाराम की खातेदारी रहवासीय मकान पक्का बना हुआ था।उसकी जांच नही की गयी तथा बिन्दु संख्या 5 मकान व वाडा बना हुआ है तथा प्रार्थी का रहवास भी है,जिसकी जांच गलत रूप से की गयी जबकि कोई रहवास नही था तथा बिन्दु संख्या 6 की जांच पूर्ण रूप से गलत की गयी।उपरोक्त खसरा नंबर से संबंधित पूर्व में भी विवाद हुआ है।तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत जाखल की गोचर भूमि दर्ज की गई है जिसका हवाला उपरोक्त जांच में नही दिया गया।इस प्रकार गलत रूप से जांच के आधार पर दिनांक 11.01.2002 को कमांक संख्या 4797 के द्वारा तहसीलदार सांचोर ने सनद अणदाराम पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई निवासी डेडवा को जारी की तथा सनद के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 27.01.2002 को स्वीकृत है।उपरोक्त सनद आदेश गलत रूप से पारित हुआ है,वह खारिज काबिल है तथा उसी के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण भी खारिज काबिल है।खसरा नंबर 433/906 जो ग्राम पंचायत जाखल के खाते में दर्ज भूमि थी।उपरोक्त भूमि किसी व्यक्ति को आवंटन करने से पूर्व ग्राम पंचायत की अनुज्ञा ली जानी आवश्यक था लेकिन किसी भी प्रकार का प्रस्ताव व अनुज्ञा ग्राम पंचायत से नही ली गई।इसीलिये सनद निरस्त काबिल है।नियमन की गई भूमि का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है तथा पांचो दुकाने बनी हुई है जिसमें किसी प्रकार का नियमनकर्ता व उसके परिवार का रहवास नही रहा है तथा जिसके फोटो अपील संलग्न पेश है।दिनांक 16.01.2018 को गांव में बैठकर गांव में कम हो रही गोचर भूमि के बारे में मौजीज व्यक्तियो से चर्चा की तथा गांव में कम हो रहे गायो के चरने हेतु गोचर भूमि के बारे में चर्चा कर गोचर भूमि को बढाने व लोगो ने हडपी गोचर भूमि दर्ज करने हेतु कार्यवाही करने की चर्चा हुई।मेरे द्वारा गांव का आम नागरिक होने के कारण अणदाराम पुत्र मुकनारम जाति विश्नोई निवासी डेडवा के नाम ग्राम पंचायत के गोचर भूमि दर्ज हुई

तथा रेकर्ड दस्तावेजो की जानकारी ली गई जिनकी नकले आदेश 04.02.2019 को अपीलांट को प्राप्त हुई।नकले प्राप्त होने से अणदाराम के नाम से दर्ज भूमि जो गलत रूप से दर्ज हुई जिसकी जानकारी मुझे हुई।उपरोक्त तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है।फिर भी किसी प्रकार की देरी मानी जावे तो धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ संलग्न है।अत:अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रशासन गांवो के संग 2001 में ग्राम डेडवा तहसील सांचोर के खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर का कमाक संख्या 4797 दिनांक 11.01.2002 के द्वारा तहसीलदार सांचोर द्वारा सनद् अणदाराम पुत्र मुकनाराम कौम विश्नोई निवासी डेडवा के नाम से जारी सनद को निरस्त करने तथा उसी के आधार पर भरे गये नामान्तरणकरण संख्या 83 दिनांक 27.01.2002 न्यायालय नायब तहसीलदार सांचोर को खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे। रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया है कि हरीराम, भीखाराम, चुन्नीलाल, किशनलाल के पिता अणदाराम पुत्र मुकनाराम का कब्जा काश्त मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि पर सन् 1971 के पहले से चला आ रहा था। इस संबंध में पंचायत ने प्रमाण पत्र भी दिया था तथा इस भूमि का रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी रहवास हेतु उपयोग व उपभोग सन् 1971 से ही करता आ रहा है।पटवारी हल्का ने भी आवंटन के पूर्व अपनी जांच रिपोर्ट में किशनाराम रेस्पोडेन्ट का कब्जा व रहवास सन् 1989 से पहले का होना तथा रहवास हेतु कोई अन्य मकान नही होना बताया था।किशनाराम के पास रहवास हेतु कोई मकान नही होने से ही खसरा नबंर 433/906 में 0.08 हैक्टेयर भूमि की सनद् प्रशासन गांवो की ओर शिविर में दिनांक 08.01.2002 को जारी की गई थी, जिस सनद को कानूनन इस अपील के जरिये खारिज नही की जा सकती है। रेस्पोडेन्टस के रहवास हेतु उनके कोई मकान व भूमि नही होने से नियमानुसार सनद फीस 255 रूपये जमा सनद के अनुसार करवाये थे तथा उस सनद को कभी भी चैलेंज नही किया गया है।रेस्पोडेन्ट अणदाराम का इस मकान बनाकर सन् 1981 के पहले से चला आ रहा है तथा सनद जारी हुऐ भी 17 साल से ज्यादा का समय हो चुका है।नियमानुसार गांवो में रहवास हेतु किसी के पास मकान व भूमि नही होने से गोचर भूमि में से भी रहवास हेतु भूमि का आवंटन किया जा सकता था,जिसके तहत ही उक्त भूमि को राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 03.07.1971 व संशोधित आदेश के अनुपालना में कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लाने की ईजाजत देते हुए सनद रेस्पोडेन्ट अणदाराम के नाम से दिनांक 08.01.2002 को जारी की थी।इस प्लॉट पर बने मकान में रेस्पोडेन्ट अणदाराम व उसका परिवार अपीलांट की जानकारी में 20 वर्षो से ज्यादा समय से

रहवास हेतु करता आ रहा है,फिर भी सिर्फ राजनैतिक द्वेष से अपीलांट ने सनद जारी होने के 17 साल बाद गलतरूप से अपील पेश की है,जो अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है।यह भूमि वर्तमान रेकर्ड में गोचर नही है बल्कि गैर मुमकिन दर्ज है।अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के रहवासीय मकान की भूमि में किसी तरह का हित अब गलतरूप से राजनैतिक द्वेष से पैदा होना स्पष्ट है।रेस्पोडेन्ट के इस मकान की भूमि के पास काफी लोगो के रहवासीय मकान आये हुये है, जिससे अब यह अपील गलतरूप से पेश की गई है।रेस्पोडेन्ट अमरूदेवी पत्नी अणदाराम की मृत्यु दिनांक 10.10.2018 को हो गई थी,फिर भी अपीलांट ने मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध अपील पेश की गई है, तो काबिल खारिज है। सनद जारी हुए व म्यूटेशन स्वीकृत हुए करीब 17 वर्ष हो चुके है तथा अपीलांट व आमजन की जानकारी में है फिर भी अपीलांट ने आपसी द्वेष व राजनैतिक द्वेष के कारण गलतरूप से यह अपील म्याद बाहर पेश की है, जो अपील काबिल खारिज है। कानूनन सनद जारी करने के आदेश की अपील की जा सकती है, जिस संबंध में अन्दर म्याद किसी तरह की कोई अपील नही की गई है।अत:जबाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रुप से दोहराते हुए कथन किया है कि सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि के बाबजूद भी तहसीलदार सांचोर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वर्ष 2001 में आवंटन करदी जो कानूनन आवंटन किये जाने योग्य नही है।जिस भूमि का आवंटन किया गया वह विवादग्रस्त भूमि है।अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा निर्णय दिनांक 20.05. 1999 के जरिये रेस्पोडेन्ट अणदाराम की खातेदारी समाप्त करने पर ग्राम डेडवा के नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 03.08.1999 के जरिये उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत जाखल के खाते में गोचर दर्ज की गई।उक्त भूमि गोचर में दर्ज रहने के बावजूद भी तहसीलदार सांचोर द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 3 जुलाई 1971 के आधार पर उक्त भूमि अणदाराम पुत्र मुकनाराम के नाम नियमन कर सनद क्रमांक/4797 दिनांक 11.02.2002 जारी करदी उक्त सनद के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 27.01. 2002 स्वीकृत हुआ जिसमें खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 किस्म गैर मुमकिन का खातेदार अणदाराम वल्द मुकनाराम दर्ज किया गया है।तहसीलदार सांचोर द्वारा सनद जारी करते वक्त ग्राम पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है।अपीलांट ग्राम डेडवा का नागरिक है, इसलिये प्रतिबधित गोचर भूमि की सनद जारी होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।अपील प्रस्तुत करने से नाराज होकर

रेस्पोडेन्ट मेरी दुकान भी जला दी है।अत:रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन हुई भूमि के आधार पर स्वीकृत हुये नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 27.01.2002 को खारिज फरमावे।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया कि रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि पर सन्1971 के पहले से चला आ रहा है।जिसका उपयोग रहवास हेतु किया जा रहा है।उक्त भूमि का आवंटन होने से पूर्व पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अणदाराम रेस्पोडेन्ट का कब्जा व रहवास सन् 1989 से पहले का होना तथा रहवास हेतु कोई अन्य मकान नही होना बताया गया था। अणदाराम के पास कोई मकान नही होने से खसरा नंबर 433/906 में रकबा 0.08 हैक्टर भूमि की सनद प्रशासन गॉवो के संग-2001 में दिनांक 08.01.2002 को जारी की गई है।सनद जारी हुये 17 साल से ज्यादा समय हो चुका है।गॉवो मे रहवास हेतु किसी के पास मकान व भूमि नही होने से गोचर भूमि में से भी रहवास हेतु आवंटन किया जा सकता था जिसके तहत राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 03. 07.1971 व संशोधित आदेश की पालना में यह सनद जारी हुई है।अपीलांट ने राजनैतिक द्वेष से सनद जारी होने से 17 साल बाद गलत रूप से यह अपील पेश की है।जो म्याद बाहर भी है।उक्त भूमि पूर्व में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज रहने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा आवश्य पक्षकार ग्राम पंचायत को संयोजित नही किया जाने के कारण भी अपील चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है।रेस्पोडेन्ट की ओर से कब्जे के समर्थन में दस्तावेज व फोटोग्राफ पेश किये गये है।जिससे भी यह प्रमाणित हो रहा है कि रेस्पोडेन्ट का कब्जा व मकान वर्ष 1989 से पूर्व का है।तहसीलदार द्वारा जारी सनद के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही होकर नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 27.01.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।जबकि नामान्तरकरण सनद के आधार पर स्वीकृत हुआ है,जब तक सनद आदेश को चैलेन्ज कर निरस्त नही करवाया जाता है तब तक सनद की पालना में स्वीकृत हुये नामान्तरकरण को कानूनन खारिज नही किया जा सकता है।अत:अपीलांट की अपील खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया। जिसके अनुसार प्रशासन गॉवो के संग-2001 के दौरान सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/906 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर का तहसीलदार सांचोर द्वारा दिनांक 08.01.2002 को अणदाराम पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई के हक में नियमन कर सनद जारी करने के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 83 स्वीकृत दिनांक 27.01.2002 को खारिज करवाने हेतु अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।अपीलांट प्रभावित प्रक्षकार नही होने के बावजूद भी गॉव का नागरिक होने से यह अपील सनद जारी होने व नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 17 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई

है।विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर जो ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज रहने के बावजूद भी ग्राम पंचायत को अपीलांट द्वारा पक्षकार सयोजित नही किया गया है।जबकि ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है,रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अणदाराम को उक्त भूमि का नियमन वर्ष 1989 तक के मकान बाडे होने के आधार पर दिनांक 08.01. 2002 को नियमन कर सनद जारी की गई है।इसी सनद के आधार पर ग्राम डेडवा का नामान्तरकरण संख्या 83 भरा जाकर दिनांक 27. 01.2002 को स्वीकृत हुआ है।अपीलांट द्वारा नियमन आदेश के आधार पर जारी सनद के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही कर नामान्तरकरण संख्या 83 को खारिज करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।जबकि सनद के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होने में किसी प्रकार की अनियमितता होना नही पाया गया है।तहसीलदार सांचोर द्वारा राजस्व (ग्रुप-6)विभाग के परिपत्र कमांक-प.9(6) राज-6/2000/16दिनांक 16.10.2001 के अनुसरण में नियमन किया जाने के आधार पर स्वीकृत हुये नामान्तरकरण संख्या 83 स्वीकृत दिनांक 27.01.2002 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाने योग्य नही है।

अत:उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेन्द्रसोनी)
जिला कलेक्टर जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सानी)
जिला कलेक्टर, जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: